न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
036/2024(रा.प्रा.प.) **(GCMS 2024/320)**	**01.10.2024**	**14.05.2025**

अनवान

कन्हैयालाल पिता भगवान जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. निलेश पिता राधेश्याम जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–		
	छोगालाल जाट	प्रार्थी
	शिवनारायण जाट	अप्रार्थी संख्या 1
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी संख्या 2

निगरानी अन्तर्गत नियम 14 (04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी भू–आवंटन कमेटी निम्बाहेडा बमिसल संख्या 427/2021 दिनांक 11.11.2021

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 01 को मौजा बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा की बिलानाम आराजी संख्या 1141 रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि के संबंध में भू–आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी का काफी पुराना कब्जा हैं जिसकी कोई जांच पडताल नहीं थी। विपक्षी संख्या 01 का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 29.10.2024 को विपक्षी संख्या 01 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 02 की और से राजकीय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता हाजिर रहे। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा की मूल अभिलेख पत्रावली प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार के पत्रांक/अभिलेखागार/2024/185 दिनांक 16.10.2024 से प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के साथ हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 26.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 की और से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम पर मौजा बांगेडा घाटा की बिलानाम आराजी संख्या 1141 रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि आवंटन किया गया है। विवादित बिलानाम आराजीयात निगराकार की कृषि आराजीयात से लगी होकर निगराकार के कब्जे काश्त में चली आ रही है। निगराकार नियमन योग्य भूमि होते हुये उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 01 के आवंटन कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 किसी भी स्थिति में आवंटन का पात्र नहीं है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि भू–आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी को आवंटन नियमों के अधीन किया गया है, जो किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है, उक्त प्रकरण में भू–आवंटन में किसी प्रकार की धोखेबाजी व गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा आवंटन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर आवेदन पेश किया है। विपक्षी आवंटन की पूरी पात्रता रखते है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में सरकार द्वारा भूमिहीन कृषको को अभियान अन्तर्गत ही भूमि आवंटन के आदेश थे और उस अनुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण बैठक में आवंटन का आदेश पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

आवंटन कमेटी द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर विपक्षीगण का आवेदन लेकर मौके की रिपोर्ट पटवार हल्का तलब की गयी तथा आवंटन कमेटी की राय लेकर विपक्षीगण भूमिहीन कृषक होने से भूमि आवंटित की गयी है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को स्वयं के लिये आवंटित कराये जाने एवं खातेदारी में कराये जाने की कभी भी कोई चाराजोही नहीं की गयी है और प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई आवेदन भी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के तहत आवंटन निरस्त होने के जो आधार कानून में दिए गए है कि आवंटन कपटपूर्वक हो, दुर्व्यपदेशन से हो या नियम विरूद्ध हो या आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की हो तभी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटी को आवंटन होने के बाद विधिवत् कब्जा सिपुर्द किया गया है जो रेकार्ड पर है। आवंटी ने किसी भी तरह आवंटन शर्तो को भंग नहीं किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि अपनी कृषि भूमि से लगी होने व प्रार्थी के कब्जे में चले आने का तथ्य गलत है। प्रार्थीगण के नियमन योग्य भूमि होने का तथ्य भी गलत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गुमानसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य **RRD 1998** पेज संख्या 445 पर प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी राजकीय भूमि यदि किसी अतिक्रमी के कब्जे में हो तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 की धारा 5(36) एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत **Unoccupied land available for allotment** माना गया है, और यदि कोई नियम 20 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के यहां नियमन के लिए आवदेन न करे तो किसी अन्य भूमिहीन को किये गये आवंटन को निरस्त कराने का अधिकार नहीं है।

विपक्षीगण को किया गया आवंटन पूर्णतः विधि अनुसार व नियमों के अनुसार किया गया है। आवंटन निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। प्रार्थीगण ने महज विपक्षी को जलील व परेशान करने की गरज से लालचवश गलत प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRD 1998** पेज संख्या **445**, **RRT 2006-07** एसयूपी पेज संख्या **122**, **RRT 2018** पेज संख्या **299**, **RRT 2012(1)** पेज संख्या **652** व **RBJ 2005(12)** पेज संख्या **113** का अवलोकन कराया।

इस पर हाजिर राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना–पत्र में माध्यम से विधिक तथ्यों के संबंध में उज्र/एतराज किया जाकर प्रकरण में विधिक तथ्यों को उठाया गया है, एवं प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख पत्रावली भी प्राप्त हो चुकी है, अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है। अतः पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने की ईशतदुआ की गई।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बताया कि विपक्षी सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकुल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान बांगेडा घाटा को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुनाया गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजीयात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच–पडताल के उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षीगण को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी ईशतदुआ से साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :–

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1)Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.
(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.
(3) XXX delted XXX]
(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

(i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated fromthe same source, perference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
(ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
(iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.
14. Condition of Allotment. –
(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:
Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन आदेश के कॉलम संख्या 3 के उप–कॉलम 3 में आवंटिती द्वारा भूमि के अनाधिकृत अधिभोग की समयावधि 03 वर्ष अंकित की गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी इत्यादि नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा रहा हों। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि उक्त आराजीयात पर आवंटी का आवंटन से पूर्व कब्जा नहीं रहा है।

न्यायिक दृष्टांत **RRT 2006-07** एसयूपी पेज संख्या **122**, से माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि कपट अथवा दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन प्राप्त करने का आरोप नहीं–सलाहकार समिति की अनुशंसा पर आवंट किया गया, निर्णय की आधिकारिता में त्रुटि नहीं है व यथावत् रखा, जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में बिना मौका व रिपोर्ट एवं पात्रता की जांच के अभाव में किये जाने का तथ्य उठाया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थी के तर्को के बल प्रदान नहीं करता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायिक दृष्टांत **RRT 2018** पेज संख्या **299** द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के बाद आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है वर्तमान में अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है एवं अप्रार्थी वर्तमान में गैर–खातेदार दर्ज रेकार्ड है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थी के तर्कों के बल प्रदान नहीं करता है।

न्यायिक दृष्टांत **RRT 2012(1)** पेज संख्या **652** द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अतिक्रमी के कब्जे में भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध मानी जायेगी। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत में **RRD 1998** पेज संख्या **445** में प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी राजकीय भूमि यदि किसी अतिक्रमी के कब्जे में हो तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(36) एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत **(Unoccupied land available for allotment)** के लिये उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थी के तर्कों के बल प्रदान नहीं करता है।

न्यायिक दृष्टांत **RBJ 2005(12)** पेज संख्या **113** द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के बाद तकनीकी आधार पर आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है वर्तमान में अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है एवं अप्रार्थी वर्तमान में गैर–खातेदार दर्ज रेकार्ड है। इसके साथ ही उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं स्थिति हस्तगत प्रकरण से मेल नहीं खाते है ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थी के तर्कों के बल प्रदान नहीं करता है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि भूमि आवंटन किये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 5 व 6 की समुचित पालना की गई हैं। नियमानुसार आवंटन नियम 6 के अन्तर्गत नियम 5 में अनाधिकृत सरकारी भूमियों, सिंचित एवं असिंचित दोनों की प्रपत्र 1 में तैयार सूची का अपवर्जन तथा आरक्षण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई भी युक्ति–युक्त दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन–पत्र आमन्त्रित करने की उद्‌घोषणा जो कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 61 के प्रावधित रीति से प्ररूप–2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं उक्त राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना किया जाना आवश्यक है, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई भी समुचित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया दूषित होना प्रकट होता है। इस प्रकार हस्तगत आवंटन विधि अनुसार प्रावधित पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसके साथ ही आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि उक्त आवंटन आराजी संख्या 1141 रकबा 1.82 हैक्टेयर भूमि में से 0.80 हैक्टेयर किया गया है, ऐसी स्थिति 1.82 हैक्टेयर भूमि में से विपक्षी संख्या 01 को आवंटित भूमि के संबंध में कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत् पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ ही आवंटित भूमि पर अप्रार्थी कब्जा एवं आवंटन शर्तो की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके की विपक्षी संख्या 01 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त है। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। केवल मात्र मौखिक कथन किये जाने से यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

इसके साथ ही जहां तक आवंटित भूमि पर प्रार्थी कब्जा होने का तथ्य प्रार्थी द्वारा उठाया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित हो की आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। यह तथ्य केवल मौखिक कथनों से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। कब्जा बिना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के प्रमाणित नहीं हो सकता है। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। इसके साथ ही यदि कब्जा प्रार्थी का मान भी लिया जाये तो निश्चित तौर प्रार्थी अतिचारी की श्रेणी में है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में **RRD 1998** पेज संख्या 445 में प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी राजकीय भूमि यदि किसी अतिक्रमी के कब्जे में हो तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(36) एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत **(Unoccupied land available for allotment)** के लिये उपलब्ध है एवं पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो की प्रार्थी द्वारा नियम 20 के तहत सक्षम स्तर पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इसके साथ ही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **RRD 1998** पेज संख्या 445 से प्रतिपादित सिद्धांत के संबंध प्रार्थी के आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(04) में प्रावधित किया गया है कि जिला कलक्टर को स्वयं संज्ञान से भी किसी आवंटन की जांच/सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त माननीय न्यायालय द्वारा **(Unoccupied land available for allotment)** का आवंटन हेतु उपलब्ध होने का तथ्य स्वीकार योग्य है एवं शेष तथ्य उक्त प्रकरण में पूर्ण रूपेण चस्पांगी नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी का भी आवंटित भूमि पर कब्जा न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया है।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षी को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 427/2021 दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.11.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थी संख्या 01 का आवंटन निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 427/2021 दिनांक 11.11.2021 का आवंटन निरस्त किया जाता है, एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 427/2021 दिनांक 11.11.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के लौटाया जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्णय की प्रमाणित प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **14.05.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official